(ख) कार्याध्यक्ष अपनी सिफारिश लिखेगा और यदि आवेदक को असमर्थता पेंशन प्रदान की गई थी, तो उसके स्वास्थ्य विवरण की एक प्रति संलग्न करेगा या उसकी असमर्थता के कारण बतायेगा;

(ग) आवेदनपत्र को इस तरह पूरा कर राज्य सरकार के वित्त विभाग में भेज दिया जायेगा।

246. राज्य सरकार नियम 240 में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार आवेदनपत्र की जाँच करेगी। यदि आवेदनपत्र में किसी तरह की त्रुटि पायी जाये या यदि उसे किसी आधार पर अस्वीकृत करने का विचार हो, तो यह बात उस प्राधिकारी को तुरंत सूचित की जाएगी जिसने अन्तिम बार सरकार के पास आवेदनपत्र अग्रसारित किया था। किन्तु, यदि आवेदित राशि को पूर्णत: या अंशत: रूपान्तरित करने का निर्णय किया जाए, तो सरकार अपना अन्तिम निर्णय महालेखापाल को सूचित करेगी और आवेदनपत्र उसके पास रिपोर्ट के लिए भेजेगी।

प्रकरण 3 : महालेखापाल की रिपोर्ट

247. महालेखापाल अविलंब पेंशन फारम 7 के भाग 2 को भरेगा और उसे नियम 250 (3) के अन्तिम भाग में वर्णित स्वास्थ्य-रिपोर्ट की प्रतियों के साथ, यदि वे उसके कार्यालय के रेकर्ड में हो, राज्य सरकार के पास भेज देगा।

टिप्पणी : यदि पेंशन का भुगतान बिहार के बाहर किसी कोषागार से किया जाता हो तो बिहार का महालेखाकार, राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के पहले जहाँ पेंशन का भुगतान किया जाता हो, उस राज्य के लेखापदाधिकारी से आवश्यक विवरण प्राप्त करेगा।

248. रूपान्तरण के बाद देय एक मुश्तराशि की गणना समय-समय पर सरकार द्वारा विहित वर्त्तमान मूल्य तालिका के अनुसार की जायेगी। (अभी लागू तालिका के लिये देखें परिशिष्ट 3 ।]

टिप्पणी : ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनका अधिवास, प्रथम नियुक्ति के समय गैर-एशियाई था और जो 8वीं मार्च, 1926 को सरकारी सेवा में थे, रूपान्तरण के बाद देय राशि की गणना भूतपूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेवाओं के पेंशनभोगियों के लिये विहित तालिका के अनुसार की जायेगी।

प्रकरण 4 : प्रशासनिक मंजूरी और स्वास्थ्य-परीक्षा

249. इसके बाद राज्य सरकार पेंशन फारम 7 के भाग 3 में अपनी प्रशासनिक मंजूरी देगी और आवेदक की स्वास्थ्य-परीक्षा की व्यवस्था करेगी।

टिप्पणी : यदि महालेखापाल के भाग 2 वाले प्रमाणपत्र से पता चले कि रूपान्तरण-भार अंशत: अन्य राज्य सरकार पर पड़ता है जिसकी शर्त्त के अनुसार विधि की प्राप्यता के बारे में उसकी सलाह ली जानी चाहिए, तो मंजूरी प्राधिकारी को प्रशासनिक मंजूरी देने के पहले उस सरकार की सहमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये। ये मद्रास, बम्बई, बंगाल और उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं।

250 इसके बाद मंजूरी प्राधिकारी –

(i) यदि नियम 251 में विहित चिकित्सा-प्राधिकारी रिपोर्ट करे कि आवेदक रूपान्तरण पाने योग्य है तो, पेंशन फारम 8 में रूपान्तरण के मद्दे देय एकमुश्त राशि के बारे में पेंशन-फारम 7 के भाग 2 में अन्तर्विष्ट महालेखापाल के प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति और पेंशन फारम 9 की एक प्रति (जिसका भाग 1 आवेदक अपनी स्वास्थ्य-परीक्षा के पहले भरेगा और चिकित्सा-प्राधिकारी को दे देगा) आवेदक के पास प्रेषित करेगा;

(ii) आवेदक को अनुदेश देगा कि वह आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर अथवा यदि उसने अपनी निवृत्ति की तारीख से पहले ही रूपान्तरण के लिये आवेदन किया हो, तो उस तारीख से तीन महीने के भीतर किन्तु किसी भी दशा में निवृत्ति की वास्तविक तारीख से पहले नहीं, उस चिकित्सा-प्राधिकारी के सम्मुख जाँच के लिए उपस्थित हो;

(iii) पेंशन फारम 9 की एक प्रति और उस फारम के भाग 3 की एक अतिरिक्त प्रति के साथ, भरे हुए पेंशन फारम 7 की मूल प्रति, और यदि आवेदक को असमर्थता प्रदान की गई हो अथवा यदि वह अपनी वास्तविक उम्र में और वर्ष के आधार पर अपनी पेंशन का कोई अंश पहले रूपान्तरित करा चुका हो (या रूपान्तरण स्वीकार करने से इंकार कर चुका हो) या उसे स्वास्थ्य के आधार पर रूपान्तरण की स्वीकृति न दी गई हो, तो उसकी पूर्व स्वास्थ्य-रिपोर्टों या उसके मामले के विवरणों की प्रतिलिपियाँ चिकित्सा- प्राधिकारी के पास भेजेगा।

राज्य सरकार का निर्णय –

*** विषय : वार्धक्य-निवृत्ति पर पेंशन का रूपान्तरण – चिकित्सीय जाँच आवश्यक नहीं।**

सरकार ने राज्य के सरकारी सेवकों को निवृत्ति लाभों की स्वीकृति और अदायगी त्वरित करने के उद्देश्य से

Scanned with OKEN Scanner

नियमों और प्रक्रियाओं को सरल और कारगार बनाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। सरलीकरण के अगला कदम के रूप में सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सरकारी सेवक वार्धक्य-निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पेंशन के रूपान्तरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें रूपान्तरित मूल्य प्राप्त करने के लिए बिहार पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली के तहत यथापेक्षित चिकित्सीय जाँच नहीं करवानी होगी, परंतु यह छूट बिहार पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली और बिहार सरलीकृत पेंशन नियमावली में विहित सीमा तक ही होगी।

2. वार्धक्य छोड़कर अन्य प्रकार से निवर्तमान व्यक्तियों को ये आदेश लागू नहीं होंगे। ये आदेश उनको भी लागू नहीं होगे जो वार्धक्य निवृत्ति के एक वर्ष के बाद पेंशन-रूपान्तरण के लिए आवेदन करेंगे।

3. इन आदेशों के तहत पेंशन के रूपान्तरण के लिए आवेदन निवृत्ति की तिथि के बाद किया जायेगा और रूपान्तरण पूर्ण हो जायेगी, यानि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक उक्त तिथि को रूपान्तरित मूल्य पाने को हकदार हो जायेंगे जिस तिथि को उचित माध्यम से उनका आवेदनपत्र वित्त विभाग में प्राप्त हो जायेगा।

4. उचित समय पर, औपचारिक संशोधन अधिसूचित किया जायेगा।

5. ये आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। यह आदेश उनको भी लागू होंगे जो इस परिपत्र के जारी होने के पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, किन्तु वार्धक्य-निवृत्ति के बाद अगली जन्मदिन–आयु पार नहीं हुए हैं और चिकित्सीय जाँच के लिए चिकित्सा-बोर्ड या चिकित्सा अधिकारी के पास नहीं गए हैं। [*वित्त विभाग, ज्ञापांक 4019/एफ०, दिनांक 14-3-1978]

251. (i) प्रशासनिक मंजूरी-प्राप्त किसी रूपान्तरण के पक्के होने के पहले आगे विहित चिकित्सा-प्राधिकारी द्वारा आवेदक की जाँच अवश्य हो जानी चाहिये।

(ii) चिकित्सा-प्राधिकारी निम्न होंगे –

(क) ऐसे आवेदक के मामले में जिसे असमर्थता-पेंशन प्रदान की जा चुकी हो या प्रदान की जाने वाली हो अथवा जिसके मामले में पहले रूपान्तरित रकम या रकमों के साथ रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की कुल रकम 25 रु० से अधिक हो, चिकित्सक-बोर्ड, जिसके सामने आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा।

(ख) ऐसे आवेदक के मामले में जिसे असमर्थता-पेंशन प्रदान नहीं की गई हो या नहीं की जाने वाली हो और जो ऐसी रकम के रूपान्तरण के लिये आवेदन करे कि पहले रूपान्तरित रकम या रकमों के साथ, रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की कुल रकम 25 रु० या उससे कम हो, वह चिकित्सा प्राधिकारी, जो उस क्षेत्र के, जहाँ आवेदक साधारणतया रहता हो, असैनिक शल्य-चिकित्सक, जिला चिकित्सा-पदाधिकारी, या प्रेसिडेन्सी शल्य-चिकित्सक की पंक्ति से नीचे न हो।

(iii) चिकित्सा-प्राधिकारी, पेंशन फारम 9 के भाग 1 में (जिस पर चिकित्सा-प्राधिकारी के सामने आवेदक हस्ताक्षर करेगा) एक विवरण आवेदक से ले लेने के बाद उसकी कड़ी जाँच करेगा, पेंशन फारम 9 के भाग-2 में फल दर्ज करेगा और अपनी राय लिखेगा कि पेंशनभोगी ने अपनी आदतों और अपनी स्वास्थ्य-वृत्त के बारे में भाग 1 में विहित प्रश्नों का किस हद तक ठीक-ठीक और सही उत्तर दिया है। अन्त में वह पेंशन फारम 9 के भाग 3 में दिए प्रमाणपत्र को भरेगा।

(iv) ऐसे आवेदक के मामले में जिसे असमर्थता-पेंशन प्रदान की जा चुकी हो या की जाने वाली हो, प्रमाण-पत्र देने वाला चिकित्सा-प्राधिकारी, प्रमाण-पत्र (पेंशन फारम 9 के भाग 3) पर हस्ताक्षर करने के पहले असमर्थकारी कारणों या स्वास्थ्य विवरण पर यथावत् विचार कर लेगा।

(v) यदि स्वास्थ्य परीक्षा बिहार में चिकित्सा बोर्ड करें, तो परीक्षा के पहले आवेदक 16 रु० नकद देगा जिसमें से 4 रु० सरकार के नाम जमा होगा और बाकी 12 रु० बोर्ड के सदस्य आपस में बाँट लेंगे। यदि परीक्षा कहीं अन्यत्र हो या बिहार में असैनिक शल्य-चिकित्सक द्वारा हो, तो आवेदक चिकित्सा-प्राधिकारी को उतनी फीस देगा जितनी उससे अपेक्षा की जाये।

(vi) कोई पेंशनभोगी किसी सक्षम चिकित्सा-सम्बन्धी प्राधिकारी द्वारा रूपान्तरण के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जाने के बाद उक्त प्राधिकार की सिफारिश पर अपनी वास्तविक उम्र में और वर्ष जोड़े जाने के कारण रूपान्तरण कराने से एक बार इंकार कर चुकने के बाद, अपने खर्च से केवल एक बार फिर से परीक्षा कराने के लिये उपस्थित होने की अनुमति पा सकता है ताकि मूल निर्णय का पुनरीक्षण किया जा सके, परन्तु –

Scanned with OKEN Scanner